

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारा (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
18/23	212 RTA	देहरी	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
बाबूलाल	बनाम	देवकीबाई वगै.	

वकील :- श्री अखिलेश शर्मा वकील :-

आदेश पत्रक

दिनांक विविध संदर्भ

16/23 2023/19
 अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 212 आर टी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 21.8.23 को पेश हो।

21.9.23 *पत्रावली पूर्व के विषय की जांच रिपोर्ट आठ पेश हुई। वकील जयें उदर कावली जयें तलवी डेट तलवका पेश करे। पत्रावली काटे तलवी डिकेन्ड 10-11-23 को पेश हो।*

11-1-24 *न्यायालयीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 7.3.24 को पेश हो।*

सि
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

26-2-24 *न्यायालयीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 8.4.24 को पेश हो।*

सि
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

8-4-24 *न्यायालयीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 8.5.24 को पेश हो।*

सि
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

8.5.24 *पत्रावली पेश हुई। बाबूलाल परीकेन उदर। वकील प्रतिक की मोर ले प्रार्थना पत्र O.L Rule 10 एवं धारा 151 CPC पेश हुआ। जिलकी प्रति वकील अप्रार्थी को डिलई गई। वकील अप्रार्थी प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं करता-चाहते प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के कोई आपत्ति No objection किया गया। वकील प्रार्थी को बुगा गया। पत्रावली*

पत्रावली में प्रेषित कर्मीय प्रार्थना अथवा एवं अन्य प्रार्थना
 उद्योगिकी में कर्मीय प्रार्थना अथवा प्रार्थना को भी
 कार्य आदेश लगाना नहीं आवश्यक है अतः प्रार्थना को
 न्यायालय के उद्योगिकी में कर्मीय प्रार्थना का प्रार्थना
 पत्र उद्योगिकी कर्मीय प्रार्थना में अतिरिक्त किया
 जाता है पत्रावली में उद्योगिकी कर्मीय प्रार्थना का प्रार्थना
 कर्मीय प्रार्थना के अतिरिक्त प्रार्थना है

★